

FORM NO. 3

फर्द अहकाम आदेश सूची ( ऑर्डर सीट )  
( नियम 28 )

न्यायालय सहायक क्लर्क (एच.डी. को.) जाधव  
 वनाम तिलाराम वगे राज्य सरकार  
 प्रकरण की किस्म राजस्व वाद  
 प्रकरण की संख्या 238/2012

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का साक्षिप्त नोट
14.8/12	<p>वादीगणने यह वाद जीमे निम्न-                      भाषण के अधिन धारा 53, 88,                      188 RTI के विरुद्ध प्रतिवादी                      पत्रा डिया जो दूजे रीजल्ट किया                      जाकर प्रतिवादी के जीमे लम्बन                      टालाव किया जाकर पत्रावली                      दिनांक: 21/8/2012 के पत्रा है।</p> <p style="text-align: right;"><i>sm</i>                      सहायक क्लर्क                      (एच. डी. को.) जाधव (जाधव)</p>	
21/8/12	<p>वकील वकीलान उपर प्रतिवादी के।                      फा नोटिस वागिल शुका प्राप्त 11 बाबा                      दावा हेतु लम्बन चालते है पत्राको                      दिनांक: 14/9/12 के पत्रा है।</p> <p style="text-align: right;"><i>sm</i></p>	
12.9.12	<p style="text-align: right;">12/9/12</p> <p style="text-align: right;">10.10.12</p> <p style="text-align: right;">10/10/12</p> <p style="text-align: right;">दिनांक</p>	

5618

पत्रावली न्याय आप के डाक सिविल आर्कोडा में पेश हुई जतिवादी सं. 2 की डाक लेवकील श्रीलेन्द्र सिंह कालवी को वकालतनामा पेश करने हेतु काफी समय दिया गया उस के बावजूद भी वकालतनामा पेश नहीं किया है वकालतनामा पेश करने हेतु धार-2 अवसर दिए जाने पर वकालतनामा पेश नहीं करने के कारण वकालतनामा पेश करने का अवसर खत किया जाता है, मौजा आर्कोडा के ख. नं. 89/01 जं. कु. बाड़ा की खातेदारी जमा-बंदी के अन्तर्गत सुरजाराय पुत्र शैयाराय के नाम से एक ही काडीगण तिलाराय, जै नाराय पुत्रान मैरुराम जाती जाट सि. आर्कोडा में इस श्रमि की खातेदारी बादी है जबकि वाडीगण रेकार्डेड खातेदार नहीं है जो इस श्रमि का रेकार्डेड खातेदार है उस को वाड में पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। जतिवादी पक्षकार केवल मात्र सरकार को बनाया गया है जो विधि समत नहीं है जतिवादी भूमिधारियों के सीसदार जायल जवाब पेश कर निवेदन किया कि मौजा आर्कोडा के ख. नं. 89/01 रकबा 0-10 बीघा की खातेदारी सुरजाराय पुत्र शैयाराय जाती जाट सा. आर्कोडा के नाम से है तथा इस प्रकार में काडी तिलाराय पुत्र गेवा राम पि. मैरुराम जाती ने खातेदारी रक करेन का वाड प्राप्त किया है वाड में खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिस के कारण वाडी का वाड चलने योग्य नहीं है तथा वाडीगण की पैटिक कांठि भी नहीं है।

# FORM NO. 3

## फर्द अहकाम आदेश सूची (ऑर्डर सीट)

### (नियम 28)

उपरोक्त अधिकारी जो फर्द

लिखाराय बनाम सरमा

की किस्म राजस्व वग

की संख्या 238 वर्ष 2012

ख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
	<p>इसलिए वादीगण का वाड स्वारीज भोग फर्द राजपरोकार द्वारा पेश जकार के अकालो कन से स्पष्ट होता है कि वादीगण सं. 01 से 02 क्रम आकोडा के स्वसरा नम्बर 89/01 जे. ड. धारा के रेकार्डेड स्वालेडार नही है तथा इस शक्ति का स्वालेडार सुरजाराय पुत्र केशराय है जिसके कारण इन के स्वालेडारी अधिकार उत्पन्न ही नहीं होते हैं।</p> <p>तस्लीतद्वारा आपल की रिपोर्टि प्रजापती से स्पष्ट होता है कि वादीगण का वाड यलैने योग्य नही है इसलिए वादीगण का वाड आलीकार कट स्वारीज दिया जाता है प्रजापती प्रैवल शुमार होकर नम्बर से कम होकर उत्तरा लखिल हो।</p> 	